212 आर.टी.ए.

...दमा नम्बरः— 24 / 2024

...ील प्रार्थी :— हंसराज तनेजा   वकीलः— अप्रार्थीः—.................

...ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
...02.2024	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रशनगत आराजी चक 3 एल बड़ा के खाता संख्या 36/47 के मुरब्बा नम्बर 20 में प्रार्थी के हिस्से की 464/1265 हिस्सा तक की कृषि भूमि को रहन, बेय एवं अंतरित न करें तथा कृषि भूमि के रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 07 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.03.2024 को पेश हो।	1050 27/02/2024
18.3.24	प्रार्थी मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को खारिज करवा लिया है। मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। इस प्रकरण में मूल वाद के खारिज होने से [illegible] स्वतः जारी अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] निरस्त है। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील [illegible] हो।	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:32:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner